	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई

माल निर्धारण वाद संख्या –....01/09–10

प्रथम पक्ष :– ..... **बैजनाथ विश्वकर्मा।**

बनाम्

द्वितीय पक्ष :– ..... **राज्य।**

आदेश

17-07-15

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख की कार्रवाई अंचल अधिकारी, जमुआ के पत्रांक 318 दिनांक 23.07.09 के साथ प्राप्त निम्न न्यायालय माल निर्धारण वाद संख्या 01/08–09 के आलोक में प्रारम्भ की गई। आवेदक को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक श्री बैजनाथ विश्वकर्मा पिता स्व0 महावीर विश्वकर्मा एवं अन्य साकिन जमखोखरो, थाना देवरी, जिला गिरिडीह ने सादा हुकुमनामा जो मौजा जमडीहा, खाता संख्या 16, प्लॉट संख्या 55 रकवा 1.40 एकड़ भूमि से संबंधित है निम्न न्यायालय में दाखिल करते हुए लगान निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है। विद्व अंचल अधिकारी, जमुआ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वादगत भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। लगान पाने वाले का नाम गिरधारी सिंह वगैरह खेवट संख्या 2/4 दर्ज है। भूतपूर्व जमीन्दार गिरिधारी सिंह वगैरह ने अनिबंधित हुकुमनामा 15 बैसाख सन् 1342 साल फसली दर्ज है जो वादगत भूमि का सालाना मालगुजारी दो रूपये आठ आना अलावे सेस जरसम्मन नगद लेकर ब्रन्दोबस्त किया गया है। तत्कालीन जमीन्दार द्वारा प्रस्तुत जमिन्दारी रसीद फसली वर्ष 1936 से 1942 एवं 1943 से 1947 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई । पंजी–।। में किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई जमाबंदी कायम नहीं है। प्रश्नगत भूमि

Scanned with CamScanner

भू–हदबंदी, सैरात एवं अधिग्रहण से मुक्त है। आवेदक के पिता एवं चाचा दयाल लोहार वगैरह को उक्त भूमि अनिबंधित हुकुमनामा से प्राप्त है। भूमि पर आवेदकगण पूर्व से ही दखलकार है। वादगत भूमि का अनुशंशित लगान 10/–रूपये प्रति एकड़ की दर से 14/–रूपये अलावे सेस प्रतिवेदित किया गया है, जिसके माल निर्धारण के लिए अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।

आवेदक की ओर से विद्व अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा जगडिहा, थाना हिरोडीह, अंचल जमुआ, जिला गिरिडीह अंतर्गत खाता संख्या 16, प्लॉट संख्या 55, रकवा 1.40 एकड़ भूमि जिसकी चौहद्दी उत्तर झरी सिंह, टांड़, दक्षिण दयाल सिंह टांड़, पूरब सुखलाल सिंह बागआम, पश्चिम दयाल सिंह टांड़ है। वादगत भूमि सर्वे खतियान में बकास्त गिरधारी सिंह के नाम से दर्ज है। आवेदक को वादगत भूमि सादा हुकुमनामा के द्वारा तिथि 14 बेसाख सन् 1342 साल फसली भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा बन्दोबस्ती की गई है तब से आवेदकगण दखलकार है। आवेदक के पिता एवं चाचा के निधन के बाद आवेदक को उक्त हुकुमनामा की जानकारी मिली तो वे माल निर्धारण हेतु आवेदन दिया है। आवेदक वादगत भूमि पर बन्दोबस्ती उपरान्त से ही दखलकार है जिससे korker right के तहत occupancy raiyat का अधिकार है, जिसके तहत माल निर्धारण की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख के साथ संलग्न कागजात विद्व अंचल अधिकारी, जमुआ के द्वारा दिये गये मंतव्य एवं विद्व अधिवक्ता के तर्क से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा सादा हुकुमनामा दाखिल किया गया है परन्तु आवेदक रिटर्न दाखिल करने में असफल रहे चुकि अगर जमीन्दार द्वारा वादगत भूमि की बन्दोबस्ती की गई होती तो आवेदक के पास रिटर्न की प्रति अवश्य होता। आवेदक के द्वारा दाखिल किये गये मालगुजारी रसीद एवं सादा हुकुमनामा की छायाप्रति गैरमजरूआ खास भूमि को गलत नियत से अपना निजी Proparty बनाने हेतु माल निर्धारण के लिए आवेदन दाखिल किया है। वादगत भूमि पर अगर आवेदक का दखल–कब्जा भी है तो उसे आधार मान कर आवेदक के पक्ष में माल निर्धारण कर रसीद निर्गत किया

Scanned with CamScanner

जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः विद्व अंचल अधिकारी, जमुआ के द्वारा प्रेषित किये गये माल निर्धारण प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है। पारित आदेश के साथ मूल अभिलेख निम्न न्यायालय को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.05.11 01:09:51 +05:30
Location: 192.168.29.192

Scanned with CamScanner